

Seat No. : \_\_\_\_\_

# AC-101(H)

April-2025

B.Com., Sem.-VI

CC-308 : Business Laws-II

Time : 2:30 Hours]

[Max. Marks : 70

(Hindi Version)

1. एजेन्सी की रचना किन तरीकों से हो सकती है इसकी चर्चा कीजिए । 14
- अथवा
1. (A) उपनिधाता और उपनिहिती के कर्तव्य समझाइए । 7
- (B) क्षतिपूर्ति करार एवं जमानती (गारंटी) करार के मध्य अंतर पर टिप्पणी लिखिए । 7
2. कंपनी क्या है ? इसके लक्षणों की चर्चा कीजिए । क्या कंपनी का अपने शेयरधारकों से अलग अस्तित्व है ? 14
- अथवा
2. (A) आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए । 7
- (B) आवेदनपत्र के किस खण्ड में बनने वाली कंपनी का नाम दर्शाया जाता है ? क्या उस खण्ड में बदलाव किया जा सकता है ? 7
3. ग्राहक कौन है ? केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखिए । 14
- अथवा
3. (A) गैर-वाजिब व्यापारिक प्रथाओं पर टिप्पणी लिखिए । 7
- (B) शिकायत का अर्थ समझाइए । शिकायत के उदाहरण दीजिए । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन शिकायत कर सकता है ? 7
4. विनिमय-पत्र का अर्थ समझाइए । इसके आवश्यक तत्व क्या हैं ? वचन-पत्र और विनिमय-पत्र के मध्य दो अंतर स्पष्ट कीजिए । 14
- अथवा
4. (A) परिपक्वता और छूट के दिवसों पर टिप्पणी लिखिए । 7
- (B) चेक कौन क्रॉस कर सकता है ? चेक क्रॉस करने के प्रकार समझाइए । 7

- (1) यथानुक्रम में धारक बिना प्रतिफल के भी इन्स्ट्रूमेंट प्राप्त कर सकता है ।
- (2) कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत, एजेन्सी करार में एजेंट व्यक्तिगत रूप से जवाबदार बनता है ।
- (3) कंपनी की राष्ट्रीयता उसके पंजीकृत कार्यालय द्वारा निर्धारित होती है ।
- (4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वकील की सेवा लेने वाला ग्राहक नहीं है ।
- (5) यदि आधिकर्ता उधार चुकाने में चूक करता है तो आधिग्राही को उसका माल बेचने का अधिकार नहीं होता है ।
- (6) वचन उपनिधान का एक प्रकार है ।
- (7) स्थापक, कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं ।
- (8) ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला फोरम की स्थापना राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा की जाती है ।
- (9) भारत में बनाया गया वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक और भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को देय है को इन-कमिंग/इनवर्ड इन्स्ट्रूमेंट माना जाएगा ।
- (10) वचन-पत्र में दो पक्ष शामिल होते हैं ।
- (11) बैंक लॉकर भाड़े पर लेना और उसमें आभूषण रखना उपनिधान है ।
- (12) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, जिला फोरम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए ।
- (13) कंपनी का आवेदन-पत्र कंपनी के आंतरिक संबंध दर्शाता है ।
- (14) करेंसी नोट और सिक्के परक्राम्य इन्स्ट्रूमेंट नहीं हैं ।